संख्या: /389/ XXXi(13)G/ 2011

प्रेषक,

मनीषा पंवार,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1— मण्डलायुक्त, गढ़वाल एवं कुमाऊं, उत्तराखण्ड।
2— समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
3— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सामान्य प्रशासन विभाग

देहरादून दिनांक 01 नवम्बर, 2011

विषयः— **उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि उत्तराखण्ड राज्य में उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 लागू हो चुका है। उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम–2011 की धारा–3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा जन सामान्य को नियत समय–सीमा के अन्तर्गत सेवाऐं उपलब्ध कराये जाने, सेवा का चिन्हीकरण, सेवा उपलब्ध कराने वाले पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान की जाने की अवधि, नामित प्रथम एवं द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या 1337/XXXi(13)G/ 2011, दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 का (हिन्दी एवं अंग्रेजी रूपान्तरण सहित) निर्गत की जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अधिनियम के सफल क्रियान्वयन हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 1353/XXXi(13)G/2011, दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 भी निर्गत किया जा चुका है। सुलभ सन्दर्भ हेतु उक्त अधिनियम, अधिसूचना तथा तत्सम्बन्धी शासन की ओर से निर्गत शासनादेश की प्रति एन0आई0सी0 की वेब साइट uk.gov.in में भी उपलब्ध है।

2— उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011, अधिसूचना दिनांक 28 अक्टूबर, 2011 एवं अधिनियम के क्रियान्वयन से सम्बन्धित शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 आदि को सम्बन्धित वेब साइट से डाउनलोड कर अपने अधीनस्थ कार्यालयों/जनपद में अवस्थित विभागों को उसकी प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करायें। अधिनियम के सुचारु रुप से क्रियान्वयन हेतु अधीनस्थ कार्यालयों/जनपद में कार्यरत विभागों के साथ एक बैठक भी आहूत कर ली जाय।

3— उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के शासनादेश दिनांक 31 अक्टूबर, 2011 में निर्धारित प्ररूप–1 के अनुसार सूचना, कार्यालय सूचना पट्ट पर जनसाधारण के अवलोकनार्थ लगवाने, प्ररूप–2 के अनुसार आवेदक के पत्र की प्राप्ति स्वीकार करने तथा प्ररुप–3, 4 एवं 5 के अनुसार पंजिका तैयार करवाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

4— उपरोक्त अधिनियम के सफल क्रियान्वयन के सम्बन्ध में मुख्य सचिव महोदय द्वारा नवम्बर, 2011 के प्रथंम सप्ताह में 'विडियो कान्फ्रेंस' के माध्यम से बैठक प्रस्तावित है। अधिनियम के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में नवम्बर, 2011 के द्वितीय सप्ताह में शासन स्तर से नामित अधिकारी द्वारा मौके पर सत्यापन किया जायेगा।

5— मण्डलायुक्तों द्वारा उत्तराखण्ड सेवा का अधिकार अधिनियम, 2011 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में दिनांक 01 नवम्बर, 2011 से 15 नवम्बर, 2011 तक की संकलित सूचना अनुमोदित

कर निम्नांकित निर्धारित प्ररूप पर उपलब्ध कराते हुए, माह दिसम्बर, 2011 से प्रतिमाह संकलित सूचना अगले माह की 10 तारीख तक शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

मण्डलायुक्त के माध्यम से शासन को संकलित सूचना उपलब्ध कराये जाने का प्ररूप

मण्डल का नामः

क्र0 सं0	विभाग का नाम	पदाभिहित अधिकारी को पूर्ण रूप से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	समय–सीमा के अन्तर्गत पदाभिहित अधिकारी द्वारा निस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	पदाभिहित अधिकारी द्वारा अनिस्तारित आवेदन पत्रों की संख्या	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों की संख्या
1	2	3	4	5	6

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित अपीलों की संख्या	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनिस्तारित अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निस्तारित अपीलों की संख्या	द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अनिस्तारित अपीलों की संख्या
7	8	9	10	11

6– कृपया उपरोक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(मनीषा पंवार)
सचिव।